

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 19/22 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2022/112

1. श्री पूरणमल पिता प्रेमचंद जी जाति खटीक उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री भेरूलाल पिता प्रेमचंद जी जाति खटीक उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्री भगवतीप्रसाद पिता प्रेमचंद जी जाति खटीक उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती उदीबाई पुत्री दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री केशु पुत्र दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती जेतुबाई पत्नी दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०) (तर्क किया 29/7/22)
4. श्रीमती देउबाई पुत्री दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
5. श्री दिनेश पिता दोला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती नोजीबाई पत्नी दोला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
7. श्री पुरा पिता दोला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
8. श्री मोहन पिता दोला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील गागली जिला-उदयपुर (राज०)
9. श्री रतन पिता दोला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील गावली जिला-उदयपुर (राज०)
10. श्री रामलाल पिता दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती वालीबाई पुत्री दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती संगनीबाई पुत्री दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
13. श्री सोहन पिता दोला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली मच जिला-उदयपुर (राज०)
14. श्री हेमा पिता दौला जी जाति भील उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)



15. श्री ओमप्रकाश पिता खुमाणचंद जी जाति खटीक उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
16. श्री गणेशलाल जाति खटीक उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
17. श्री जगन्नाथ पिता खुमाणचंद जी उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
18. श्री लीलाबाई पुत्री खुमाणचंद जी जाति खटीक उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
19. श्री दिनेशलाल पिता कन्हैयालाल जी उम्र-वयस्क निवासी मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
20. श्री श्यामलाल पिता खुमाण जी जाति बलाई उम्र-वयस्क निवासी-मेड़ता तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०) (ड्रॉप 24/5/22)
21. श्री जगदीश नारायण धनका पिता शिवराम जी जाति धानका उम्र-वयस्क निवासी-ए 2 त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज०)
22. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 15 से 19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम निर्णय

दिनांक : 14.05.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा बजाज नगर पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 4744/4029 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। विपक्षीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने पर भी सीमा संबंधी विवाद करते हैं। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार आधिपत्य व कब्जे की भूमि आराजी नम्बर 4744/4029 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि के पूर्व, उत्तर व पश्चिम दिशा का सीमांकन कर पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 14, 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 3 का नाम तर्क किया गया तथा विपक्षी संख्या 20 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। विपक्षी संख्या 22 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 15 से 19 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 4650/4023 रकबा 0.

5504 हैक्टेयर भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील जगदीश, नारायण ने रामलाल वगैरह के विरुद्ध पेश कर रखी है। जिसका अपील नम्बर एसबी/सिविल/रेगुलर/फस्ट 27/2013 होकर दिनांक 17.01.2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश यथास्थिति का दिया। अंत में निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय का आराजी नम्बर 4650/4023 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि के संबंध में दिनांक 09.09.2013 को अपील के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किये जाने से आप न्यायालय द्वारा उक्त आराजी के संबंध में किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है इसलिए उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

3. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समाप्त किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें हैं कि मौजा बजाज नगर पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 418 पर दर्ज आराजी नम्बर 4744/4029 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 21 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 21 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नहीं रहेगा। विपक्षीगण का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के अपील नम्बर 27/2013 से आराजी नम्बर 4650/4023 पर अंतरिम आदेश यथास्थिति का है। इसलिए प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी अपील के निस्तारण तक नहीं की जा सकती है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी अपनी आराजी 4744/4029 की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। आराजी नम्बर 4744/4029 पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश हो ऐसा कोई दस्तावेज उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बजाज नगर पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80

के खाता संख्या 418 पर दर्ज आराजी नम्बर 4744/4029 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी किये जाने का है। इस आदेश के तहत कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे। कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर